363

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4862

प्रकरण क्र. ..../17

1. रतन सिंह आयु 55 वर्ष पुत्र गनेशा उर्फ गनेशराम काछी निवासी ग्राम बड़वासा तहसील बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)
2. सियाबाई आयु 80 वर्ष विधवा गनेशा उर्फ गनेशराम काछी निवासी ग्राम बड़वासा तहसील बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

....निगरानीकर्ता

बनाम

1. कला बाई आयु 38 वर्ष पुत्री गनेशा पत्नि बलीराम कुशवाह निवासी मंडीबामौरा खजरोद रोड के पास , मण्डीबामौरा जिला सागर (म. प्र.)
2. कुसुम बाई आयु 40 वर्ष पुत्री गनेशा पत्नि प्रकाश कुशवाह निवासी गरीब नगर , छोला दशहरा मैदान के पास , भोपाल (म.प्र.)

....आवेदक / रिस्पांडेन्ट

3. मोतीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री गनेशा पत्नि मुन्नीलाल कुशवाह निवासी मुड़ेना तहसील त्योंदा जिला विदिशा
4. रामबाई आयु 52 वर्ष पुत्री गनेशा पत्नि हरगोविन्द कुशवाह निवासी रेलवे क्वाटर हबीबगंज भोपाल म.प्र.

....रिस्पांडेन्टगण

आ.प.प्र. ... 4.12.17

4-12-17

नि.दि. 18-12-17

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार श्री जे.एल.जैन महोदय बासौदा द्वारा प्र.क्र. 50 / अ–27 / 16–17 कुसुम बाई विरूद्ध रतन सिंह ग्राम बड़वासा तहसील बासौदा में पारित आदेश दिनांक 20 / 11 / 2017 से दुखित होकर

श्रीमान् महोदय ,

पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है :–

क्रमशः...............2

XXIX(a)-BR(H)-11

(363)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4862 **जिला - विदिशा**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	